भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 714

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

लद्दाख में भारतीय सैन्य दलों की गश्त पर प्रतिबंध

714. **एडवोकेट अदूर प्रकाशः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर पूर्वी लद्दाख के प्रमुख क्षेत्रों में पीछे हटने की शर्तों तथा भारतीय सैन्य दलों की गश्त पर लगाए गए प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीछे हटने की इन शर्तों की तुलना भारतीय और चीनी सैन्य दलों के बीच झड़पों से पहले की यथास्थिति से किस प्रकार की जा सकती है;

(ग) क्या सरकार हाल ही में हुए पीछे हटने संबंधी समझौतों से अनजाने में भारतीय क्षेत्रों पर चीन का दावा मजबूत होने की आशंका संबंधी बढ़ती चिंताओं का समाधान करने की योजना बना रही है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रमुख क्षेत्रों की स्थिति के संबंध में पारदर्शिता बढ़ाने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्ति वर्धन सिंह]

(क) से (घ) भारत और चीन देपसांग और डेमचोक में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था के संबंध में 21 अक्टूबर 2024 को एक समझौते पर पहुंचे, जिसके

परिणामस्वरूप सैनिकों को हटाया गया। इसके तहत यह सहमति बनी है कि गश्त से जुड़ी गतिविधियाँ और, जहाँ भी लागू हो, इन क्षेत्रों में संघर्ष शुरू होने से पहले लंबे समय से चली आ रही परिपाटी के अनुसार चराई फिर से शुरू होगी। यह समझौता तब से प्रभावी हो गया है और पारस्परिक रूप से सहमत तौर-तरीकों और समयसीमा के अनुसार लागू किया गया है।

दिनांक 21 अक्टूबर 2024 से पहले हुए सेना हटाए जाने संबंधी समझौतों की शर्तें पूर्वी लद्दाख के प्रासंगिक क्षेत्रों में लागू रहेंगी।

समझौतों की शर्तें दोनों पक्षों पर परस्पर लागू होती हैं और इनमें वास्तविक नियंत्रण रेखा या सीमा रेखाओं पर भारत की स्थिति के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं हैं।

सरकार ने 2020 में तनाव के समय से इन मुद्दों के समाधान में प्रमुख उपलब्धियों के बारे में संसद को नियमित रूप से जानकारी दी है। रक्षा मंत्री ने 15 सितंबर 2020 और 11 फरवरी 2021 को संसद में वक्तव्य दिया। सरकार ने प्रेस विज्ञप्तियों और ब्रीफिंग के माध्यम से प्रासंगिक बैठकों और उनके परिणामों के बारे में भी सूचना जारी की है।

सरकार, भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखती है और अपनी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

*****